"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 नवम्बर 2007—अग्रहायण 2, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-01-07/2007/एक/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से., (1983) को प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से आयुक्त, वाणिज्यिक कर, आबकारी आयुक्त, पदेन प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर (केवल आबकारी तथा पंजीयन), प्रबंध संचालक, बेवरेज कार्पोरेशन के पद पर पदस्थ किया जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

2. श्री एन. के. असवाल, भा. प्र. से. (1983), को प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

उन्हें आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रमुख सचिव, राजस्व, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग तथा पदेन राहत आयुक्त एवं पुनर्वास आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराज सिंह, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2007

क्रमांक एफ 3-1/2007/1-3.—छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 12 के उपनियम (2) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, क्षेत्रीय विकास आयुक्तों को, उनके संबंधित अधिकारिता में पदस्थ द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) शासकीय कर्मियों पर, उक्त नियम के नियम 10 के खण्ड (एक) से (चार) में विनिर्दिष्ट लघु शास्तियों को अधिरोपित करने हेतु सशक्त करते हैं.

Sl. No. F 3-1/2007/1-3.—In pursuance of sub-rule (2) of rule 12 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966 the Governor of Chhattisgarh hereby empowers the Regional Development Commissioners to inpose the minor penalties specified in clauses (i) to (iv) of rule 10 of the said rules on Class II and Class III (Executive) Government employees posted in their respective jurisdiction.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. राय, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 7 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/59/2004/1/2.—श्री अमीर अली, भा. प्र. से., संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, तकनीकी शिक्षा विभाग को दिनांक 10-09-2007 को 01 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश काल में श्री अली को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अली अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/4/2003/1/2.—श्री एस. के. तिवारी, भा. प्र. से., पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर को दिनांक 06-11-2007 से 16-11-2007 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 17 एवं 18 नवंबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री तिवारी आगामी आदेश तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री तिवारी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिवारी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री तिवारी के उक्त अवकाश अवधि में श्री पी. आर. नायक, अपर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ. ग. रायपुर अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ पंजीयक, संस्थाएं, छ. ग. रायपुर का कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-7/2/2006/1/2.—श्री एस. आर. ब्राम्हणे, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर को दिनांक 12-11-2007 से 15-11-2007 (04 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09, 10 एवं 11 नवंबर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्राम्हणे, आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री ब्राम्हणे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्राम्हणे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 14 नवम्बर 2007

क्रमांक ई-11/2007/1/2.—श्री एस. भारती दासन, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, कोरिया को दिनांक 10-09-2007 से 22-09-2007 तक (13 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08, 09 एवं 23 सितम्बर, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री एस. भारती दासन को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. भारती दासन अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 अक्टूबर 2007

क्रमांक/9678/2007/25-3/आजाक.—संयुक्त संसदीय समिति राज्य सभा नई दिल्ली बैठक दिनांक 20-09-2007 में दिये गये निर्देशानुसार एवं वक्फ एक्ट 1995 की धारा 4 के अंतर्गत बीस वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर राज्य शासन, एतद्द्वारा, वक्फ सर्वेक्षण कमिश्नर, छत्तीसगढ़ रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य में वक्फ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कमेला	0.729	कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर, जिला बस्तर अथवा कार्यपालन अभियन्ता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/1/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	मंगनार	0.18	कार्यपालन यंत्री-सह-सदस्य सचिव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रमांक-2, जगदलपुर.	नेंगानार से चित्रापुर सड़क निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/02/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	जगदलपुर	लेंडरा	0.18	कार्यपालन यंत्री-सह-सदस्य सचिव, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना क्रमांक-2, जगदलपुर.	नेंगानार से चितापुर सड़क निर्माण बाबत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर एवं कार्यपालन अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्रमांक 2572/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-गुडेला, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.14 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
767/1	0.04
767/2	0.04
85/1	0.06
योग	0.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 6 नवम्बर 2007

क्रमांक -2574/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-खुंरसुल, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.51 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86	0.04
78	0.05
22	0.04
16/4	0.05
85	0.05
77/1	0.04
19	0.02
16/3	0.08
84	0.05
77/2	0.04
12/3	0.05
योग	0.51

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 7 नवम्बर 2007

क्रमांक 2589/प्र. 1/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दुर्ग
- (ख) तहसील-गुण्डरदेही
- (ग) नगर/ग्राम-मोंहदीपाट, प. ह. नं. 2
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
340/6	0.24
340/7	0.04
340/5	0.04
योग	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, पाटन, मुख्यालय दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/24/अ-82/2004/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-एरण्डवाल, प. ह. नं. 66
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.66 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.04
11	0.10
14	0.10

(1)	(2)
2	0.24
9	0.18
योग	0.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/25/अ-82/2004/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-दुगनपाल, प. ह. नं. 66
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
69/2 क	0.12
71/1	0.06
योग	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 12 नवम्बर 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/34/अ-82/2004/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बस्तर
(ख) तहसील-जगदलपुर
(ग) नगर/ग्राम-बड़ेआरापुर, प. ह. नं. 66
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.59 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
542	0.02
545	0.12
782/2	0.22
634	0.08
546	0.02
558	0.03
559	0.03
560	0.15
621	0.06
620/1	0.08
624	0.20
629/1	0.18
636	0.03
637	0.16
640	0.02
642	0.02
741	0.03
748	0.06
764	0.09
765	0.06
772	0.18
780/1	0.06
774/1	0.06
776	0.15
778/1	0.06
785	0.06

(1)	(2)
784	0.18
786/1	0.04
787/1	0.07
742	0.01
629/2	0.06
योग	2.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के विस्तारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गणेश शंकर मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटेसरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.42 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
266/3	0.03
223	0.07
226, 237	0.06
235	0.12
241	0.12
246	0.07
251/8	0.12
252/2	0.13
258	0.22
262/1	0.14
263	0.09
265/1	0.01
265/2	0.09
268	0.13
267	0.01
251/2	0.01
योग 17	1.42

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मौहापाली माइनर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटेसरा, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.40 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1	0.03
14	0.08
15/2	0.10
16/1	0.06
17/1, 2	0.10
27	0.12
31	0.10
30	0.05
34	0.12
36	0.08
41	0.07
40	0.03
43	0.10
44	0.07
47/2	0.11
47/3	0.01
47/1	0.17
योग 17	1.40

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मौहापाली माइनर क्रमांक-1 के निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-मौहापाली, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
288/2	0.07
11	0.05
37	0.05
23	0.05
9	0.07
10	0.05
280, 284	0.17
283	0.05
282/1	0.05
281/2 ख	0.08
280	0.03
305/5	0.02
306/2	0.02
307/1	0.07
308/1 ख	0.15
309, 310	0.10
413/2	0.08
413/3	0.07
413/1	0.26
412/2	0.09
411	0.04
410	0.06
280/4	0.02
412/1	0.06
योग 23	1.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मौहापाली माइनर क्रमांक-2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-बारापीपर, प. ह. नं. 16

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.33 एकड़/हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़/हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176/1	0.08
177/2	0.05
178/1	0.11
179/4	0.09
184/2, 185/2	0.08
186/1	0.08
186/2	0.08
199	0.26
200	0.01
217/1, 2	0.04
215	0.04
216, 233	0.16
234	0.08
233	0.06
241	0.03
242	0.14
248/1-3	0.12
253/1-3	0.12
259	0.07
258/1-2	0.05
255, 256	0.08
270	0.07
273/4	0.02
273/5	0.06
274	0.11
275/1 j	0.11
275/1 ch	0.11
275/1 g	0.11
282/1-2	0.05
285, 286	0.07
287	0.03
288/2, 289/1	0.11
289/2	0.45
331/1	0.10
331/2	0.10
332/1	0.03
332/2	0.03
334	0.11
329	0.09
755	0.11
757/2	0.10
784	0.10
782/1-2	0.02
781	0.08
791/1-4	0.05
776/1-3	0.12
799/1-6	0.13
826/1	0.09
825/1	0.07
824/1-2	0.08
822/1-2	0.04
820, 821	0.06
816/1	0.04
840/2	0.09
841/1-8	0.09
842	0.22
848/1	0.10
849	0.05
851/1-10	0.04
239	0.06
योग 60	5.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- मेढ़ापाली माइनर क्रमांक-3.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-किरारी, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.35 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	444	0.09
	443	0.01
	442/2	0.06
	445/2 ख	0.08
	445/2 क	0.17
	452	0.24
	451	0.10
	595, 597	0.18
	1045/3	0.13
	519/2, 520/2	0.19
	450/1	0.30
	596	0.04
	598	0.06
	594/1, 594/3	0.24
	594/2	0.31
	1045/2	0.04
	1045/1	0.04
	1046	0.05
	1047	0.02
योग	17	2.35

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-किरारी माइनर क्रमांक-3 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सा./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-सपोस, प. ह. नं. 15
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	1767/1, 7	0.12
	1777/2	0.01
	1777/1	0.09
	1777/3	0.01
	1777/4	0.04
	1776	0.13
	1778	0.06
	1804	0.19
	1742/1	0.05
	1742/2	0.14
	1795	0.09
	2087	0.09
	2088	0.12
	2089	0.14
	2113	0.12
	2112	0.09
	1779, 1809	0.07
	1797	0.03
	1798	0.03
	1796	0.06
	2081	0.02
	2085, 2086	0.20
	2111/4	0.08
	2110/1, 2	0.08
	2109/1	0.09
	2108/2	0.06
	1801	0.09
योग	27	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लटेसरा माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 23 अक्टूबर 2007

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/सां./1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छ. ग.)
- (ख) तहसील-डभंरा
- (ग) नगर/ग्राम-रेड़ा, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.39 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1166/1	0.02
1153	0.18
1151/1, 2, 3	0.08
1152	0.02
1150	0.09
योग 5	0.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रेड़ा माइनर क्रमांक 2 के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, चांपा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेहरापाली, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.579 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2/2	0.061
2/3	0.263
34/1	0.121
46	0.134
योग	0.579

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बेहरापाली एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोसमनारा, प. ह. नं. 11

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.394 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22	0.014
23/1	0.016
23/2	0.036
26/1	0.024
45/1	0.036
46/1	0.268
योग	0.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कलारमुड़ा जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39 /अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-कोटमार, प. ह. नं. 18

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.405 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153/2	0.405
योग	0.405

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-कोटमार एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-बाघाडोला, प. ह. नं. 35

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.401 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
19/1	0.170
19/2	0.231
योग	0.401

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-बाघाडोला जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लोईंग, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
32/14	0.077
32/25	0.072
योग	0.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- भोजपल्ली जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 42/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-जामगांव, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.644 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
542	0.008
624	0.076
541/1	0.008
544	0.012
623/3	0.028
541/2	0.004
623/2	0.032
625/2	0.048
626/1	0.036
626/2	0.020
541/3	0.016
645/1	0.008
612	0.012
680	0.032
681	0.028
691	0.052
610/4	0.012
611	0.028
682	0.004
684	0.036
679/1	0.040
679/2	0.032
686/2	0.048
566/3	0.024
योग	0.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- जामगांव टेन्क के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 22 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 43/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सिहा, प. ह. नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.101 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
98	0.101
योग	0.101

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सिहा जलाशय के निर्माण हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-लैलूंगा
- (ग) नगर/ग्राम-सलखिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-13.873 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
82/2	0.399
85	0.166
113/9	0.065
82/1	0.399
92/2	0.134
70/7	0.119
109/5	0.141
18/1	0.170
13/5	0.030
87/4	0.150
108/2	0.032
89	0.182
107/1	0.034
80/2	0.120
79	0.117
12/1, 12/3, 14/1	0.571
14/3	0.121
86/1	0.150
86/4	0.210
109/6	0.142
70/1	0.142
87/2	0.324
107/2	0.104
80/1	0.145
81/1	0.211
74	0.081
113/7	0.081
12/4	0.020
12/5	0.081
86/1	0.121
14/2	0.405
12/2	0.303
86/3	0.170
13/1	0.255
84/1	0.123
110	0.206
111/1	0.284
91/1	0.081
109/4	0.340
91/2	0.040
109/2	0.324
70/9	0.101
87/1	0.433
88/1	0.304
109/3	0.303
87/3	0.425
88/2	0.304
18/2	0.129
70/8	0.101

(1)	(2)
112/2	0.182
113/3	0.033
10/2	0.129
90	0.364
100	0.008
101	0.040
102/1	0.796
103	0.008
112/1	0.231
113/5	0.089
113/6	0.081
104	0.310
101/6	0.004
84/2	0.505
111/2	0.210
116	0.526
13/4	0.032
109/2	0.142
70/5	0.152
70/4	0.233
70/2	0.231
70/3	0.040
70/7	0.124
योग	13.873

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भेलवाटोली जलाशय योजना के डूबान क्षेत्र के निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-कांटाझरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.584 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83/2	0.288
83/1	0.172
34	0.038
72	0.129
47/1	0.162
48/1	0.144
28/3	0.038
28/4	0.070
28/2	0.039
78/1	0.064
76/2	0.014
7	0.131
40/3	0.094
40/4	0.240
40/2	0.090
47/2	0.162
28/1	0.028
79/3	0.243
71	0.277
40/1	1.073
29	0.235
26/2	0.809
78/2	0.044
योग	4.584

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 19/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-देवगांव
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.896 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
424/3 क	0.012
424/3 च	0.012
365/1 च	0.020
424/3 ङ	0.012
14	0.024
364	0.016
424/3 घ	0.012
20	0.040
365/1 घ	0.024
426/3	0.006
424/6	0.037
424/1	0.061
16	0.057
367	0.028
424/3 ग	0.012
426/1	0.009
424/3 ज	0.012
24	0.027
424/5	0.028
11/2	0.052
424/4	0.028
7	0.036
9	0.061
426/4	0.006
13	0.032
416	0.030
27	0.010
422/2	0.008
19	0.166
366	0.078
365/1 ख	0.040
365/1 ग	0.032
365/1 ङ	0.040
365/1 छ	0.008
362/1	0.008
11/1	0.053
22	0.028
23/2	0.012
18/2	0.020
423	0.072
424/3 छ	0.012
17/4	0.012
368/2	0.007
424/3 ख	0.012
17/1	0.008
17/3	0.012
8	0.020
25	0.006
15	0.113
424/2	0.100
30	0.030
10	0.101
23/1	0.016
17/2	0.012
12	0.089
21	0.032
18/1	0.024
18/3	0.021
योग	1.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 20/अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-घरघोड़ा
(ग) नगर/ग्राम-सलिहारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.649 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
10/2	0.087
3	0.105
51	0.425
13	0.264
11/1	0.241
84	0.096
2	0.036
7/2	0.019
10/1	0.036
10/3	0.067
11/2	0.105
12/2	0.026
12/1	0.026
12/3	0.026
52/4	0.090
योग	1.649

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू अर्जन प्रकरण क्रमांक 21/अ-82/2007.—चूंकि राज्य [illegible] बात [illegible] ान हो गया है कि नीचे दी [illegible] अनुसूची [illegible] की अनुसूची के पद (2 [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-कचकोबा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.863 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
551	0.073
613/1	0.160
606/1 क	0.045
606/1 ग	0.045
605	0.260
606/3	0.120
611/1	0.022
606/1 ख	0.045
606/1 घ	0.045
611/2	0.048
योग	0.863

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 22/अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है [illegible] भूमि की [illegible] के लिए आवश्यकता है :—

[illegible]

[illegible] का वर्णन

(क) जिला [illegible]

(ख) तहसील-घरघो[illegible]

(ग) नगर/ग्राम-तमनार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-4.552 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1096/6 ज	0.259

(1)	(2)
1072/2	0.010
1069, 1096/3 ख	0.016
1069/1096/3 ङ	0.024
1064	0.036
1096/1267/6	0.037
1058/1	0.012
1096/1267/2	0.025
1247/1	0.007
1069/1096/3 घ	0.016
1059, 1096/1267/3 क	0.097
1082/3 क	0.014
1248	0.020
1249/1	0.021
1096/3 ग	0.024
1069/3, 1096/3 क	0.016
1081/2	0.021
1093/3	0.012
1082/3 ख	0.014
1082/1	0.010
1093/1	0.010
1081/1 ख, 1081/1 क	0.021
1096/6 ङ	0.235
1068/1296/2 घ	0.065
1096/6 ग	0.214
1249/5	0.021
1096/1267/3 क, 1059	0.093
1066	0.024
1096/1267/2	0.010
296/1254	0.223
1094/1, 1094/2	0.014
1071, 1096/5 क	0.038
1065, 1096/1264	0.007
1068/1096/2 क	0.061
1096/6 घ	0.170
1096/6 च	0.279
1249/2	0.021
1096/6 छ	0.809
1061/1	0.038
1082/2	0.014
1093/4	0.014
1072/1	0.013
1058	0.007
1247/2	0.007
1068/1096/2 ख	0.061
1096/6 ख	0.324
1249/3	0.021
1060	0.018
1096/1267/4	0.093
1067	0.018
1096/1267/9	0.033
1092/5	0.037
1096/1255	0.429
1070/1096/4	0.034
1221/1, 1221/2	0.012
1096/क	0.071
1096/1096/2 ग	0.061
1249/4	0.021
1071/2, 1096/5 क्ष	0.020
योग	4.552

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 23/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-गोरकामुड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-14.196 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13/1	0.756
104	0.920

(1)	(2)
58	0.080
113	0.163
46	0.132
10	0.350
18	0.050
19	0.210
23	0.202
50	0.666
8	0.230
11	0.120
20	0.055
45	0.580
15	0.190
66	0.080
71/1	0.188
97	0.072
101	0.016
44	0.067
59	0.100
112	0.048
40	0.530
[illegible]	0.060
103	0.037
43/3	0.028
55/3	0.023
72/6	0.065
52/1	0.016
55/1	0.023
65	0.100
6	0.490
100	1.300
62	0.160
68/2	0.357
64/1	0.090
17/2	0.688
13/4	0.054
60	0.149
7	0.110
107	0.070
108	0.180
48	0.599
16/4	0.130
14/1	0.035
21/3	0.030
67	0.040
72/7	0.041
72/8	0.168
43/1	0.028
16/1	0.130
21/1	0.030
72/1	0.040
72/12	0.152
72/9	0.025
72/10	0.024
72/11	0.057
14/2	0.035
49	0.137
110	0.190
17/3	0.170
64/2	0.090
71/2	0.208
68/1	0.357
13/2	0.089
43/2	0.028
55/2	0.023
13/3	0.111
21/2	0.030
16/2	0.040
16/3	0.130
72/2	0.064
72/3	0.041
72/4	0.080
72/5	0.039
योग	14.196

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बड़गांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.803 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31/1	0.048
16/4	0.032
32	0.032
33	0.271
69/2	0.040
69/3	0.380
योग	0.803

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दनौट बड़गांव मार्ग के कि.मी. 5/2 पर दनौट सेतु पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 25/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-छिंदभौना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-46.492 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
115	1.960
122	0.840
108	0.520
113	0.430
81	0.650
84	0.850
101	0.060
117	1.860
121	1.250
77	0.200
24	0.733
111	0.340
27	1.010
78	0.390
119	0.770
8/1	1.067
79	0.684
4/1	0.610
5/1	0.455
9/1	1.310
23/1	0.215
85/1	0.139
20	1.665
80	1.836
103	1.430
28	1.506
110	0.390
112	0.440
98	0.048
104	2.490
15	0.331
116	0.608
118	1.290
95	0.314
109	2.691
89	0.934
100	1.220
8/3	3.500
9/1	1.310
4/2 क	0.305
5/2 क	0.228
9/2 क	0.655
4/2	0.305
5/2 ख	0.226

(1)	(2)
9/2 ख	0.655
21	0.340
23/2	1.075
76	0.020
87	0.920
97	0.452
13	1.606
32	0.358
योग	46.492

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27/अ-82/06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-बरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.740 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
54	0.440
6	0.610
32/2	0.032
32/4	0.162
43	0.190
55	0.250
49	0.519
32/1	0.129
32/3	0.242
32/9	0.162
32/5	0.565
37	0.830
50	0.857
51/3	2.279
48	0.010
34	0.550
36	0.120
39	0.034
41	0.259
4	1.430
58	0.034
46/3	0.782
46/4	0.607
46/5	0.281
46/1	0.801
46/6	0.667
42	0.012
46/2	0.492
3	0.384
38/2	0.840
2	0.282
33	0.888
योग	15.740

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 28/अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-भैंसगढ़ी

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.522 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
42	0.161
43	0.392
4/2	0.361
8/2	0.886
4/1	0.361
8/1	1.146
8/3	0.537
16	0.120
3	0.972
5	0.093
7	1.150
2	2.828
4/3	0.360
14/1	0.719
14/3	1.543
14/6	0.624
14/4	0.887
14/7	1.302
40/1	0.858
40/2	0.222
योग	15.522

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 अक्टूबर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-घरघोड़ा

(ग) नगर/ग्राम-बड़गांव

(घ) लगभग क्षेत्रफल-15.414 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
36/1	0.004
36/5	0.004
36/2	0.024
36/1	0.057
38	0.053
46	0.607
34	0.014
36/4	0.012
33	0.020
42	0.204
63	0.445
36/3	0.019
51	2.785
40	0.648
45	0.534
59	0.299
65	0.112
25	0.243
39	0.231
48	0.834
64/1	0.320
34	0.178
60	0.656
66	0.072
67	0.077

(1)	(2)
41	0.344
47	0.833
35	0.159
43	5.328
23	0.166
53	0.132
योग	15.414

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूबान क्षेत्र का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 नवम्बर 2007

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 46/अ-82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-गेरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-59.895 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
136	1.267
129/17 क	0.631
143/17	0.364
62/2	0.656
129/46	0.538
143/24	0.364
129/49	0.137
129/50	0.065
129/52	0.089
129/53	0.045
129/54	0.045
129/55	0.045
129/56	0.049
129/47	0.900
143/25	0.364
129/25	0.025
129/27	0.061
143/8	0.073
129/28	0.142
129/18	0.708
143/18	0.219
129/14	0.229
143/14	0.109
129/33 ख	0.146
129/21 क	0.715
143/21	0.405
129/30	0.801
143/23	0.295
129/12 क	0.398
143/12	0.049
129/57	0.040
129/58	0.065
129/59	0.056
129/60	0.053
129/61	0.097
129/62	0.101
129/16	0.761
143/16	0.364
129/42	0.101
129/43	0.032
129/44	0.049
129/45	0.081
143/22	0.219
129/22	0.530
62/1	0.320
144/4	1.619
143/15	0.182
129/15	0.563
129/13	0.563
143/13	0.182
129/4	0.361
143/4	0.109
61/2	0.416
129/34 क	0.643

(1)	(2)
129/19	0.158
143/19	0.299
142/1	0.579
129/65	0.344
129/8	0.361
143/9	0.109
129/24	0.219
129/31	0.162
129/32	0.223
129/34 ख	0.040
129/39	0.089
129/40, 129/41	0.138
143/26	0.356
143/6	0.632
129/6 क	0.801
133	1.135
146	2.023
144/3	2.023
138	2.023
129/1	1.153
143/1	0.486
129/21 क	0.069
64	2.509
135	2.023
129/5	1.267
143/5	0.364
143/20	0.182
142/2	2.023
129/3 क	0.802
143/3	0.364
141	2.023
65	0.691
134	2.023
129/7	0.142
129/29	0.149
143/7	0.146
144/2	2.023
129/2	0.604
143/2	0.297
129/11	0.243
129/23	0.142
140	1.655
143/11	0.073
139/2	1.733
145	2.023
137	2.023
143/10	0.631
129/10	1.539
59/3	0.448
129/2 ख	0.400
129/3 ख	0.194
143/2 ख	0.298
योग	59.895

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. टंडन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 29 अक्टूबर 2007

क्र. 4070/खनि/2007.—म. प्र. गौण खनिज नियम 1996 के नियम 12 के तहत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला बिलासपुर (छ. ग.) में नीचे दी गई तालिका में वर्णित क्षेत्र का इस विज्ञप्ति में छ. ग. राजपत्र में प्रकाशित होने के तीस दिवस के पश्चात् खनिज

रियायत हेतु क्षेत्र उपलब्ध होंगे.

जिला	तहसील	ग्राम	ख. नं.	रकबा	खनिज	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
बिलासपुर	तखतपुर	छतौना	912/11	2.00	चूनापत्थर	निजी

सुबोध कुमार सिंह,
कलेक्टर.

कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), अनुभाग दन्तेवाड़ा जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ. ग.)

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 नवम्बर 2007

क्रमांक/1490.—बंधक श्रमिक (उत्सादन) अधिनियम 1976 (1976 का संख्यांक 19) की धारा 13 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं अलरमेल मंगई डी., अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग दन्तेवाड़ा एतद्द्वारा दंतेवाड़ा अनुभाग में बंधक श्रमिकों के विमुक्ति पुनर्वास एवं अधिनियम के उपबन्धों के क्रियान्वयन कें प्रयोजन हेतु अनुभाग स्तरीय सतर्कता समिति का गठन करती हूं, जिसमें निम्न सदस्य होंगे.

उपधारा (अ) श्री डी. एस. कुंजाम, तहसीलदार, दन्तेवाड़ा — अध्यक्ष

(अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा नामांकित व्यक्ति)

उपधारा (ब)

1. श्री बरखू प्रसाद, कैलाश नगर दन्तेवाड़ा — सदस्य
2. श्री दीपक कर्मा, अध्यक्ष नगर पंचायत, दन्तेवाड़ा — सदस्य
3. कु. बिमला शोरी, जिला पंचायत सदस्य, कुआकोण्डा — सदस्य

(3 अनुभाग में निवासरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)

उपधारा (स)

1. श्री रामसिंह नाग, ग्राम व पोष्ट मैलावाड़ा, तहसील दन्तेवाड़ा — सदस्य
2. श्रीमती सरिता उईके, ट्रायबल कालोनी, दन्तेवाड़ा — सदस्य

(अनुभाग में निवासरत 2 समाज सेवक व्यक्ति, अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि)

उपधारा (द)

1. श्री आर. के. टण्डन, सहायक अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकीय विभाग, दन्तेवाड़ा — सदस्य
2. श्री एस. आर. नेताम, सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, दन्तेवाड़ा — सदस्य
3. श्री विमल सुराना, संचालक वर्धमान महावीर जीवदया रक्षा समिति गीदम, दन्तेवाड़ा — सदस्य

(शासकीय अथवा अशासकीय संस्थाओं जो ग्रामीण विकास से संबंध रखते हों, या जुड़े हों के प्रतिनिधि जो जिला दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत होगा)

उपधारा (ई)

1. श्री एस. के. पाण्डेय, प्रबन्धक, छ. ग. ग्रा. बैंक, दन्तेवाड़ा — सदस्य

(जिले के वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाओं से संबंधित प्रतिनिधि जो अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत हो.)

उपधारा (एफ)

1. श्री ओमप्रकाश उईके, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, दन्तेवाड़ा — सदस्य

(धारा 10 में विनिर्दिष्ट और अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों में एक प्रतिनिधि अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा मनोनीत.)

श्रीमती अलरमेल मंगई डी.,
अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).